न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 12 / 2023	2023 / 191	20.12.2023	05.06.2024

1– विरेन्द कुमार पुत्र इन्दर सिंह जाति अहीर निवासी मकान न0 1234 सैक्टर– 31, गुरूग्राम (हरियाणा) हाल काश्तकार वाके ग्राम अलापुर जटट तहसील तिजारा जिला खैरथल – तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार तिजारा जिला खैरथल – तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार तिजारा के शुद्वि पत्र में वर्णित आराजी खसरा न0 86 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम अलापुर जटट का नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 28.01.2022 तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री सतीश कुमार शर्मा –वकील अपीलान्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के के शुद्वि पत्र में वर्णित आराजी खसरा न0 86 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम अलापुर जटट का नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 28.01.2022 तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि शुद्वि पत्र में वर्णित आराजी खसरा न0 86 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम अलापुर जटट का नामान्तकरण संख्या 29 दिनाक 28.01.2022 के बाबत यह अपील तहसीलदार तिजारा के विरूद्व पेश कि गयी है, आराजी खसरा न0 86 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम अलापुर जटट पटवार हल्का थौंस मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2047 लगायत 2050 में नजीर, बुद्वा पिसरान इलाईबक्स 1/2 भाग व गोदनामा नामान्तकरण संख्या 76 के आधार पर आंसू मुतबन्ना अलीवक्स 1/2 भाग खातेदारी का अमल दरामद था, आराजी खसरा न0 86 रकबा 16बिस्वा (0.20) है0 का 1/2 भाग आसू मुतबन्ना अलीबक्स ने रूजदार पुत्र सबदल को जरिये रजिस्ट्रड बयनामा बाकब्जा, बाप्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया। जिसका नामान्तकरण संख्या 141 के आधार पर खरीददार रूजदार पुत्र सबदल के नाम का खातेदारी का अमल दरामद हो गया। रूजदार पुत्र सबदल ने अपनी खरीदशुदा खातेदारी की आराजी खसरा न0 86 रकबा 16बिस्वा (0.20) है0 का 1/2 भाग का बेचान मन्दप्रकाश पुत्र चन्द्रप्रकाश को जरिये रजिस्ट्रड बयनामा बाकब्जा, बाप्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया। जिसका नामान्तकरण संख्या 274/07.12.2006 मन्दप्रकाश के नाम दर्ज व मन्जूर होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2063 लगायत 2066 में मन्दप्रकाश के नाम खातेदारी में अमल दरामद हो गया उक्त मन्दप्रकाश ने आराजी खसरा न0 86 रकबा 16बिस्वा (0.20) है0 का 1/2 भाग का बेचान मिन अपीलान्ट को जरिये रजिस्ट्रड बयनामा बाकब्जा, बाप्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया। जिसका नामान्तकरण संख्या 338/31.12.2007 को मिन अपीलान्ट के नाम दर्ज व मन्जूर होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2063 लगायत 2066 में अमल होकर नोट लगाया गया। साथ ही उक्त आराजी खसरा न0 86 रकबा 16बिस्वा (0.20) है0 का 1/4 भाग का बेचान नजीर पुत्र इलाईबक्स ने मिन अपीलान्ट को जरिये रजिस्ट्रड बयनामा बाकब्जा, बाप्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 337/31.12.2007 को मिन अपीलान्ट के नाम दर्ज व मन्जूर होकर राजस्व रिकार्ड में अमल कर नोट लगा दिया। जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 में आराजी खसरा न0 86 रकबा 16बिस्वा (0.20) है0 का 3/4 भाग काबिज खातेदार काश्तकार हो गया। आसू पुत्र मुतबन्ना अलाबक्स के गोदनामा का नामान्तकरण संख्या 76 के बाबत एक अपील संख्या 8/98 बअनुवान नजीर वगै0 बनाम आसू वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहाँ

केवल मात्र आराजी खसरा न0 292, 290, 316, 296 वाके ग्राम अलापुर जटट की बाबत विचाराधीन थी, जिसमें आराजी खसरा न0 86 रकबा 16बिस्वा (0.20) है0 का कोई हवाला नही था, न ही आराजी खसरा न0 86 के बाबत कोई अनुतोष चाहा गया था। जबकि आराजी खसरा न0 86 रकबा 16बिस्वा (0.20) है0 भी गोदनामा नामान्तकरण संख्या 76 में दर्ज था। उक्त अपील संख्या 8/98 को दिनाक 10.03.2008 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा निर्णय पारित किया गया जिसमें यह उल्लेखित किया है, कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय दिनाक 06.04.87 ग्राम पंचायत जैरोली तहसील तिजारा बाबत नामान्तकरण संख्या 76 वाके ग्राम अलापुर जटट तहसील तिजारा निरस्त किया जाता है, प्रकरण तहसीलदार तिजारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि वो विवादित नामान्तकरण संख्या 76 का निर्णय नामान्तकरण संख्या 66 दिनाक 18.10.85 वाके ग्राम अलापुर जटट को मध्येनजर रखते हुये उभय पक्ष को सुना जाकर पुनः निर्णय पारित करे। तहसीलदार तिजारा द्वारा उक्त कंम में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशो की पालना में पत्रावली की आदेशिका दिनाक 21.11.2011 व 17.04.2013 की आदेशिकाओ में कार्यवाही को स्थगित कर पत्रावली को पैन्डिग रखा हुआ था। जबकि नामान्तकरण संख्या 76 की पुस्त पर तहसीलदार तिजारा के द्वारा रिमाण्ड पत्रावली का निर्णय करने से पहले दिनाक 23.03.2012 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनाक 10.03.2008, अपील संख्या 8/98 माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनाक03.11.2011 अपील संख्या 27/8 बअनुवान शिवचरण गुप्ता बनाम नजीर वगै0 के परिपेक्ष्य में नामान्तकरण खारिज किया गया का नोट अंकित करते समय विधि व कानून के द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तो की अवहेलना की गयी है। तहत अदालत के द्वारा निर्णय परित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना दी न ही सुनवाई का कोई मौका दिया गया। विधि विरूद्व नामान्तकरण संख्या 76 को खारिज किया गया है। जबकि मिन अपीलान्ट की खरीदशुदा आराजी की बाबत कोई अनुतोष नही चॉहा गया था। तहसीलदार तिजारा ने शुद्वि पत्र में वर्णित आराजी खसरा न0 86 रकबा 0.20 है0 ग्राम अलापुर जटट का नामान्तकरण संख्या 29 दिनाक 28.1.2022 को निर्णित किया है, मिन अपीलान्ट की आराजी खसरा न0 86 रकबा 0.20 है0 का 1/2 भाग अमल जो आसूं पुत्र मुतबन्ना से खरीदशुदा थी, के अमल को हजफ कर मृतक अलाबक्स पुत्र पिर खा के नाम 1/2 भाग का अमल राजस्व रिकार्ड में कर दिया जो समस्त कार्यवाही विधि विरूद्व व गैरकानूनी तरीके से की गयी है। मिन अपीलान्ट ने दिनाक 03.10.2023 को तहसीलदार तिजारा को आवेदन पेश कर नामान्तकरण संख्या 29 दिनाक 28.01.2022 में मुन्दर्जे आराजी खसरा न0 86 को शुद्वि कर पूर्व की भॉति मिन अपीलान्ट के नाम आराजी को खातेदारी में कराने का निवेदन किया जिस पर रिपोर्ट प्राप्त की गयी जो दिनाक 25.10.2023 को रेस्पोडेन्ट ने मिन अपीलान्ट के आवेदन पत्र को निरस्त कर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने का आदेश दिया।

रेस्पोडेन्ट लेण्ड होल्डर तहसीलरदार तिजारा वक्त बहस उपस्थित होकर अपील में वर्णित तथ्यो का बिन्दूवार जवाब तैयार कर पेश किया गया। जो शामिल मिसल किया गया। लेण्ड होल्डर तहसीलदार तिजारा ने अपनी बहस में निवेदन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 76 पर जो निरस्तीका नोट अंकित किया गया है, वह माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में लगाया गया है, तथा नामान्तकरण संख्या 29 शुद्वि पत्र से दर्ज से दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया। व साबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार किया गया है। अपीलान्ट का हिस्सा अनुसार रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्टान ने अपीलाधीन आदेश शुद्वि पत्र में वर्णित आराजी खसरा न0 86 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम अलापुर जटट का नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 28.01.2022 तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व अपील न्यायालय को दिनाक 19.12.2023 को पेश की गयी है, जो करीब 10 माह 20 दिवस पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 28.01.2022 की जानकारीदिनाक 21.08.2023 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के विन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, किशुद्वि पत्र में वर्णित आराजी खसरा न0 न0 86 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम अलापुर जटट पटवार हल्का थौंस मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2047 लगायत 2050 में नजीर, बुद्दा पिसरान इलाईवक्स 1/2 भाग व गोदनामा नामान्तकरण संख्या 76 के आधार पर आंसू मुतबन्ना अलीवक्स 1/2 भाग खातेदारी का अमल दरामद था, आराजी खसरा न0 86 रकबा 16बिस्वा (0.20) है0 का 1/2 भाग आसू मुतबन्ना अलीबक्स ने रूजदार पुत्र सबदल को जरिये रजिस्ट्रड बयनामा वाकब्जा, बाप्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया। जिसका नामान्तकरण संख्या 141 के आधार पर खरीददार रूजदार पुत्र सबदल के नाम का खातेदारी का अमल दरामद हो गया। रूजदार पुत्र सबदल ने अपनी

[illegible] खातेदारी की आराजी खसरा न0 86 रकबा 16बिस्वा (0.20) है0 [illegible] 1/2 [illegible] पुत्र चन्द्रप्रकाश को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बाकब्जा [illegible] नामान्तकरण संख्या 274/07.12.2006 चन्द्रप्रकाश के नाम [illegible] मन्जूर होकर [illegible] सम्वत 2063 लगायत 2066 मे चन्द्रप्रकाश के नाम खातेदारी मे [illegible] चन्द्रप्रकाश ने आराजी खसरा न0 86 रकबा 16बिस्वा (0.20) है0 का 1/2 भाग का बेचान मिन अपीलान्ट [illegible] जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बाकब्जा बापतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया। जिसका नामान्तकरण संख्या [illegible] 31.12.2007 को मिन अपीलान्ट के नाम दर्ज व मन्जूर होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2063 [illegible] 2066 मे अमल होकर नोट लगाया गया। साथ ही उक्त आराजी खसरा न0 86 रकबा 16 बिस्वा [illegible] 1/4 भाग का बेचान नजीर पुत्र इलाईबक्स ने मिन अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा [illegible] बापतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 337/31.12.2007 को मिन अपीलान्ट के नाम दर्ज व मन्जूर होकर राजस्व रिकार्ड मे अमल कर नोट लगा दिया। जमाबन्दी सम्वत 2067-2070 मे आराजी खसरा न0 86 रकबा 16बिस्वा (0.20) है0 का 3/4 भाग काबिज [illegible] [illegible] गया। आसू पुत्र मुतबन्ना अलाबक्स के गोदनामा का नामान्तकरण संख्या 76 के बाबत [illegible] अपील संख्या 8/98 बअनुवान नजीर वगै0 बनाम आसूं वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहाँ [illegible] मात्र आराजी खसरा न0 292, 290, 316, 296 वाके ग्राम अलापुर जटट की बाबत विचाराधीन थी जिसमे आराजी खसरा न0 86 रकबा 16बिस्वा (0.20) है0 का कोई हवाला नही था, न ही आराजी खसरा न0 86 के बाबत कोई अनुतोष चाहा गया था। जबकि आराजी खसरा न0 86 रकबा 16बिस्वा (0.20) है0 भी गोदनामा नामान्तकरण संख्या 76 में दर्ज था। उक्त अपील संख्या 8/98 को दिनाक 10.03.2008 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा निर्णय पारित किया गया जिसमें यह उल्लेखित किया है, कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय दिनाक 06.04.87 ग्राम पंचायत जैरोली तहसील तिजारा बाबत नामान्तकरण संख्या 76 वाके ग्राम अलापुर जटट तहसील तिजारा निरस्त किया जाता है, प्रकरण तहसीलदार तिजारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि वो विवादित नामान्तकरण संख्या 76 का निर्णय नामान्तकरण संख्या 66 दिनाक 18.10.85 वाके ग्राम अलापुर जटट को मध्येनजर रखते हुये उभय पक्ष को सुना जाकर पुनः निर्णय पारित करे। तहसीलदार तिजारा द्वारा उक्त क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशो की पालना में पत्रावली की आदेशिका दिनाक 21.11.2011 व17.04.2013 की आदेशिकाओ में कार्यवाही को स्थगित कर पत्रावली को पैन्डिग रखा हुआ था। जबकि नामान्तकरण संख्या 76 की पुस्त पर तहसीलदार तिजारा के द्वारा रिमाण्ड पत्रावली का निर्णय करने से पहले दिनांक 23.03.2012 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनाक 10.03.2008, अपील संख्या 8/98 माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2011 अपील संख्या 27/8 बअनुवान शिवचरण गुप्ता बनाम नजीर वगै0 के परिपेक्ष्य में नामान्तकरण खारिज किया गया का नोट अंकित करते समय विधि व कानून के द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तो की अवहेलना की गयी है। तहत अदालत के द्वारा निर्णय परित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना दी न ही सुनवाई का कोई मौका दिया गया। विधि विरूद्व नामान्तकरण संख्या 76 को खारिज किया गया है। जबकि मिन अपीलान्ट की खरीदशुदा आराजी की बाबत कोई अनुतोष नही चॉहा गया था। तहसीलदार तिजारा ने शुद्वि पत्र में वर्णित आराजी खसरा न0 86 रकबा 0.20 है0 ग्राम अलापुर जटट का नामान्तकरण संख्या 29 दिनाक 28.1.2022 को निर्णित किया है, मिन अपीलान्ट की आराजी खसरा न0 86 रकबा 0.20 है0 का 1/2 भाग अमल जो आसूं पुत्र मुतबन्ना से खरीदशुदा थी, के अमल को हजफ कर मृतक अलाबक्स पुत्र पिर खा के नाम 1/2 भाग का अमल राजस्व रिकार्ड में कर दिया जो समस्त कार्यवाही विधि विरूद्व व गैरकानूनी तरीके से की गयी है। मिन अपीलान्ट ने दिनाक 03.10.2023 को तहसीलदार तिजारा को आवेदन पेश कर नामान्तकरण संख्या 29 दिनाक 28.01.2022 में मुर्न्दजे आराजी खसरा न0 86 को शुद्वि कर पूर्व की भॉति मिन अपीलान्ट के नाम आराजी को खातेदारी में कराने का निवेदन किया जिस पर रिपोर्ट प्राप्त की गयी जो दिनांक 25.10.2023 को रेस्पोडेन्ट ने मिन अपीलान्ट के आवेदन पत्र को निरस्त कर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने का आदेश दिया।पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण संख्या 76 पर जो निरस्तीका नोट अंकित किया गया है, वह माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनाक 03.10.2011 उनवान शिवचरण गुप्ता बनाम नजीर अपील संख्या 27/2008 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के निर्णय दिनाक 10.03.2008 उनवान नजीर बनाम आसू अपील संख्या 8/98 के परिपेक्ष में लगाया गया है, तथा नामान्तकरण संख्या 29 शुद्वि पत्र से दर्ज किया जाकर दिनांक 28.01.2022 निर्णित कर स्वीकार किया गया है। वह साबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार किया गया है। तहत अदालत द्वारा प्रकरण में विधिक जॉच कर कार्यवाही की गयी है, पारित निर्णयनामान्तकरण संख्या 29 शुद्वि पत्र निर्णय दिनाक 28.01.2022 ग्राम अलापुर जटट तहसील तिजारा न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तथा तहत अदालत तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2022 नामान्तकरण संख्या 29 शुद्धि पत्र ग्राम अलापुर जरिए तहसील तिजारा यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के सहित वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)